श्रावस्ती के आस-पास ओराभार तथा पुर्वाराम नामक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण स्तूप और बिहार शनैः शनैः मरम्मत के अभाव में नष्ट होते जा रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इन धर्म स्थानों का जीर्णोद्धार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

प्रत्येक ऐतिहासिक स्थल के समीप पुरातत्व विभाग ने अपने संग्रहालय बना रखे हैं किन्तु श्रावस्ती में अभी तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पर्यटकों की जानकारी हेतु श्रावस्ती में भी एक संग्रहालय अवश्य बनाना चाहिये। पर्यटन विभाग ने पर्यटन कमप्लेक्स बनाने के लिये जिस भूमि का अर्जन किया है वह खंडहरों के अति समीप है, उसमें खंडहरों के कुछ भाग भी हैं तथा वह अत्यन्त नीची एवं जल भराव वाली भूमि है। पुरातत्व एक्ट के अनुसार ऐतिहासिक पुरावशेषों के आधे मील की परिधि में कोई सरकारी अथवा गैरसरकारी मकानों का निर्माण एवं प्रसार करना वर्जित है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

*(Interruptions)***

MR. DEPUTY-SPEAKER : Not more than 10 Members can be allowed on one day. Please do not record anything. You do not obey the Chair. Please sit down. This is not the way. Please do not record anything of what he says.

SHRI BUTA SINGH : I have listened very carefully to the Hon. Members' points of view. As you know, there is a very clear rule that unless the Business Advisory Commttee.....

(Interruptions)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : आप बतायें न कि बढ़ते दामों पर चर्चा होगी कि नहीं ?

श्री बूटा सिंह : अभी मैं बोलूंगा जो भी माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाये हैं यह बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के सामने जायें और वह इनके ऊपर अपना निर्णय लेकर टाइम दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय जार्ज साहब ने प्राइस राइज के बारे में कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय पहले ही इसको वन आफ दी सबजेक्ट्स मान चुके हैं। बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी से कहा है वह टाइम देगी और इस पर फुल डिस्कशन होगा, केवल प्राइस राइज ही नहीं बल्कि इनफ्लेशन पर भी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : विदेशी पूंजी जो हिन्दुस्तान में आ रही है ? एक कम्पनी में साढ़े बाइस करोड़, रिलायेंस मिल्स में

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, this is not the way.....

13.34 hrs.

ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL—(*Contd.*)

MR. DEPUTY SPEAKER : Now we take up clause by clause consideration of the Electricity (Supply) Amendment Bill. Now, Clause 2. Amendments to be moved. Shri R.L.P. Verma.....not present.

**Not recorded

CLAUSE 2—(Amendment of Section 59)

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : I beg to move :

Page 1, line 12,—

for "three" *substitute* "five" (2)

PROF. AJIT KUMAR MEHTA (Samastipur) : I beg to move :

Page 1, —

after line 23, *insert* —

"(c) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted namely :—

"(3) Besides bringing uniformity in commercial accounts, various State Electricity Boards shall ensure uniformity in rates for supply of electricity per unit to avoid any discrimination and shall refrain from levying minimum guaranteed amount till uninterrupted supply of minimum contracted quantity of power to the consumer is ensured." (4)

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मान्यवर, मैं यह मानकर चलता हूं कि यह अमेंडमेंट ठीक होते हुए भी मंत्री जी इसको स्वीकार नहीं करेंगे । लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता हूं । मेरे ख्याल से आज भी देश में जो हमें बिजली मिलती है दूसरे देशों की अगर तुलना करें तो पायेंगे कि फ्रांस में 3,711 किलोवाट बिजली पर आवर मिलती है, हंगरी में 2,100 किलोवाट मिलती है, पौलैंड में 2,523 किलोवाट बिजली मिलती है, स्विटजरलैंड में 4,672 किलोवाट बिजली पर आवर दी जाती है । कनाडा को 11,148 किलोवाट, यू.एस.ए. को 8974 किलोवाट, जापान को 4,014 किलोवाट, फिलीपीन्स को 307 किलोवाट बिजली मिलती है, लेकिन हिन्दुस्तान में आज हमको बहुत कम बिजली मिलती है । हिन्दुस्तान में जितनी भी योजनाएं बनी हैं उनसे जो हम चाहते थे, उससे हम पीछे रहे है और हमें योजना के अनुसार बिजली नहीं मिली है । सदस्यों ने बिल को अमेंड करने के लिये केवल 3 परसेंट की रिकमैंडेशन की है मैं जानना चाहता हूं कि यह 3 परसेंट क्या बेसिस है ? श्री वेंकटरमण ने जो रिपोर्ट दी थी, उसमें साफ कहा था :

The question of prescribing certain minimum rates of return on investment in power projects has been engaging the attention of the Planning Commisson. The Venkataraman Committee which made a review of the working reserves of the State Electricity Boards asked that a phased programme should be drawn up for attaining a minimum return of 11 per cent on capital investment after meeting all the working expenses and depreciation.

1973 के अन्दर हमारी रिपोर्ट पांचवे फाइनेन्स कमीशन ने रिकमेंड की थी लेकिन हिन्दुस्तान मे जो हम बिजली चाहते है वह रिसोर्सेज की कमी की वजह से पूरी नहीं हो पाई है । आज सारे बोर्ड घाटे में है । ऐसी हालत में मै चाहता हूं कि जो आपने 3 परसेंट इलैक्ट्रीसिटी एक्ट में किया है हम चाहते हैं कि कमर्शियल बेसिस पर हमें लाभ मिले । आज हमको ब्याज देना पड़ता है, हमारे बोर्ड घाटे में हैं, 3 परसेंट सरप्लस का क्या आधार रखा है । जब तक हमारी सरकार सब्सीडी पर कुछ लोगों को लाभ पहुंचायेगी तब तक दूरदराज गांव में लोग बिजली से महरूम रहेंगे । इसलिये मेरा सुझाव है कि 3 परसेंट के बजाय इसको 5 परसेंट होना चाहिये ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन केवल इतना है कि राज्य

के बिजली बोर्डों मे उनके कुप्रबन्ध के कारण जो घाटा लगता है. उसकी पूर्ति वह उपभोक्ताओं से न्यूनतम प्रत्याभुत रकम यानी मिनिमम गारन्टी के रूप में वसूल करते हैं जबकि बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होती है । कभी-कभो 2-2 और 3-3 दिन तक बिजली की आपूर्ति नहीं होती है और कभी ऐसा होता है कि 10 मिनट के लिये आपूर्ति हुई और उसके बाद 1 घंटे के लिये गायब । इस प्रकार से जब बिजली की आपूर्ति ही सुनिश्चित नहीं है तो मिनिमम गारन्टी किसानों और छोटे कारखानेदारों से वसूल करना मेरे विचार से बहुत अनुचित है । इसलिए मैंने यह संशोधन पेश किया है कि जब तक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित न हो जाए, तब तक मिनिमम गारंटी की रकम वसूल करना स्थगित कर दिया जाए ।

मेरे संशोधन के दो भाग हैं । आशा है कि मत्री महोदय ने उन्हें देख लिया होगा ।

THE MIMISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH) : With due deference to the Hon. Member, Shri Daga, I would like to inform him that this concept of surplus has been taken from the Venkataraman Committee formula, which prescribed a gross rate of return of 9.5 per cent excluding the electricity duty. The level that we have now prescribed is on par with the rate of return in normal commercial investment; that is the rationale behind it. We have been very careful in fixing these norms, as we want the Boards to achieve these norms. We do not want to pitch it at a higher level, which it would be difficult for the Boards to achieve.

Shri Daga and many other Hon. Members referred to the financial performance of the Electricity Boards Most of the Hon. Members have a very poor idea of the financial position of the State Eelctricity Boards. According to the audited accounts of 1979, 1980 and 1981, 9 State Electricity Board, namely, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Tamil Nadu and West Bengal have achieved more than the target in all the three years covered in this booklet. So, it is not as if the financial performance of all the State Electricity Boards is in such a mess that they cannot came up. In Andhra Pradesh, it is less because of certain adjustment, else it is in a sound financial position. In UP it has exceeded the target in 1979-80 and 1980-81, after taking into account the subsidy for R.E. programmes. Rajasthan achieved 11 per cent rate of return in two years out of three and Haryana achieved it in one year out of three years. Two of the Electricity Boards which have not achieved any of the targets in all these three years is Bihar and Himachal Pradesh. So, we are prescribing the norms which most of the Electricity Boards have achieved, and these Electricity Boards that have achieved a higher level can perscribe a still higher level, keeping in view their own performance. The Rajadhyaksha Committee has recommended a higher rate of return and a net return of 6 per cent. But that would involve a very sharp increase in tariff rates. So, we are not suggesting that.

Coming to the amendment of Prof, Ajit Kumar Mehta the first part relates to uniformity of rates, to which I have already replied yesterday. Uniformity is not possible and may not even be desirable. Natural endowments of the different States differ, their priorities differ. They want to achieve progress in certain directions and they want to use it as a tool or a catalyst. So, this uniformity is not possible, may not be feasible or even desirable.

Then he says that they should refrain from levying minimum guaranteed amount till uninterrupted supply of minimum contracted quantity of power to the consumer is ensured.

Acording to the Act, this is governed by Sections 46 and 49 under which it is the discretion of the SEBs or the State Governments to give directions in that behalf. In

fact, we have a different view, we have been suggesting to the State Governments and SEBs that major supply should be arranged for consumers in the agricultural sector as well as other sectors. But some how or the other they have found it to the advantage of the farmers that this is done, but we have been persuading.....

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : Not to the advantage of farmers. They have done it one.....

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : It has to be done. That is what he says.

(Interruptions)

SHRI CHANHDRA SHEKHAR SINGH : Maybe. It may in certain circumstances go against the interests of the farmers. We have been advising them and in view of the advice that we have been giving them, I hope that the Hon. Members, Mr. Daga and Prof. Mehta, would withdraw their amendments.

SHRI MOOL CHAND DAGA : Sir, I seek leave of the House to withdraw my amendment.

MR. DEPUTY SPEAKER : Is it the pleasure of the House that the amendment moved by Shri Mool Chand Daga be withdrawn ?

The Amendment No. 2 was, by leave, withdrawn

MR. DEPUTY SPEAKER : I shall now put amendment No. 4 moved by Prof. Ajit Kumar Mehta to the vote of the House.

The Amendment No. 4 was put and negatived

MR DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted

CLAUSE 2 WAS ADDED TO THE BILL.

MR DEPUTY SPEAKER : Clauses 3 to 6. There are no amendments.

The quetion is :

"That clauses 3 to 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted

CLAUSES 3 TO 6 WERE ADDED TO THE BILL.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, clause 1, the Enacting Formula and the long Title. The question is :

"That clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted

CLAUSE 1, THE ENACTING FORMULA AND THE TITLE WERE ADDED TO THE BILL.

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH : Sir, I beg to move :

"That the Bill he passed."

MR. DEPUTY SPEAKER : In this Third Reading of the Bill I will call the Hon. Members one by one, I would request the Hon Members not to take more time and the rule is that they can raise in the Third Reading only new points which have not been dealt with earlier. *(Interruptions)* of course, for and against. Now. Shri Satyanarayan Jatiya may speak.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Sir, I told you yesterday that

I want to be called first, as I have to leave Delhi this afternoon.

MR. DEPUTY SPEAKER : You want to be called first, Mr. Jatia, can you allow Mr. Halder first ?

SHRI SATYANARAYAN JATIYA (Ujjain) : Yes.

SHRI RAM PYARE PANIKA (Robertsganj) : Sir, I want to raise a point in the Third Reading,

MR. DEPUTY SPEAKER : They have already given it in writing.

*SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, today I want to speak in one of the great, beautiful, sweet Indian language i.e., Tagore's language, Bengali.

Sir, the Electricity Supply (Amendment) Bill, 1983 is before us. This seeks to amend parent act, i.e., The Electricity supply Act, 1948. This was earlier amended in 1978. Cl. 59 of the Act is being amended through the present Bill to provide for a compulsory minimum surplus of 3%. It is also stipulated that the Electricity Boards should function as commercial organisations on commercial lines. You are very aware Sir, about the importance of power in our national economy. Today our agriculture, our industries like the steel and coal industries etc. are greatly suffering for want of adequate power supply. Now, for the working of the Boards as commercial organisations, it is essential that enough power should be made available to the consumers in every field of activity viz., agriculture, industries, the domestic sector etc. Assured and guaranteed supply of power must be made available to consumers for commercial functioning. But we find that the State Electrity Boards have completely failed in that direction. The Hon. Minister of Energy in his reply to the debate said yesterday that the target for power generation in the 6th plan was 19,600 megawatt, but they have succeeded in generating 15000 m.g only. He claimed it as a sufficient success. I do not agree with him. Sir, you are not allowing me to speak on agriculture, industry etc. So, I will leave it at that.

Sir, when there is a failure of monsoon in the country or any part of the country, then you will have to provide for irrigation through deep tubewells, lift irrigation etc. This requires power. Unless sufficient power supply is provided for agricultural sector then our agricultural production will suffer a great loss, as it is doing today. I am speaking on a new point Sir. In the Eastern part of the country, particularly in my constituency in West Bengal, it was decided to set up a thermal power station at Mejia Coalfied in Bankura District, by the previous Minister of Energy Shri Ghani Khan Chowdhury. You have decided to set up the power station at Lotavani in the DVC Zone also in my area. I will urge upon you to take expeditous steps to set up that plant. Experts have told me that there is abundant stock of high grade coal available in the Mejia coal fields which will be required for running this thermal power plant. I can say that will full responsibility.

I have heard that a circular type railway line is going to be laid for carrying coal to this thermal plant. But this with not be correct.

Sir, it will be better if a railway bridge is constructed over the Damodar river jointly by the Ministry of Energy and the Ministry of Railways, connecting Jharia, Mejhia coal fields and the power station. Thereby the areas lying on both ends of the bridge will prosper and progress. Moreover, it will be possible to supply coal to the Thermal power station from Raniganj and Jhåria coalfields also. You are aware Sir, that a danger has arisen of the Raniganj townships subsidence. Therefore, if necessary, the Raniganj township can be shifted to

*The orginal speech was delivered in Bengali,

Mejia over the Damodar river with the help of this Bridge. For that reason also, over the Damodar river, a railway bridge should be constructed jointly by the Ministry of Energy and the Ministry of Railways.

MR. DEPUTY SPEAKER : You see, how many minutes you will take more ?

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : I will finish Sir. I have to catch the train. Regarding Farakka Super-thermal power station, it should be expedited. It is in the Central Sector. It will not only serve West Bengal but also Bihar and other States in the Eastern region. Since you are interrupting Sir, instead of speaking in Bengali sometimes I have to speak in English also for your benefit. I will appeal to the Hon. Minister to advance all possible assistance and cooperation to the West Bengal Goverement and the State Electricity Board for the Kolaghat power project.

Sir, the DVC has suggested about mini-hydel power generation. I have also been advocating for a long time that there is a possibility. The water that is passing through the loek-gate of the main DVC canal, with that you can set up mini-hydel generation station. This will greatly help agriculture. It should be expedited.

Lastly Sir, the West Bengal Government has said that in the matter of DVC, the West Bengal and other State Governments should have more say. Their voice should have more weight. This should be given due consideration.

13 58 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair.*]

You are a very efficient and soft-spoken Minister. I do not like that you would go from here to Bihar. You will try to serve the whole of India. Of course, you will help us also.

I hope that you will reply properly.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, सरकार ने अपने बीस-सूत्री कार्यक्रम में अधिक बिजली उत्पादन और सब गांवों को बिजली देने की बात कही है । गांधी जी ने बिजली के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था :

"गरीब के झोपड़े में बिजली जा सकेगी, तो मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन यदि समृद्ध और वैभवशाली व्यक्ति अपनी समृद्धि में वृद्धि करने के लिये इसे इस्तेमाल करते है, तो मैं इसका विरोध करूंगा ।"

मैं आपका ध्यान गांधीजी की इस भावना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । क्या अभी तक हम गांवों में बिजली पहुचा पाए हैं और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किये है, वे लक्ष्य पूरे हो पाए हैं । बिजली के उत्पादन और मांग में जो अन्तर है, उसको पूरा करने के लिए और जो बिजली की मांग बार-बार होती है और आप उसे दे नहीं पाते हैं, उसके लिए आपने क्या किया है, यह तो जो वर्तमान स्थिति है, उससे ही पता चल जाता है । जहां देखो, वहां बिजली का अभाव है । जिस प्रदेश में देखो, बिजली के अभाव के कारण सारे उद्योग धंधे ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और उद्योग धंधे ठीक से नहीं चल रहे हैं । बिजली की स्थिति इस प्रकार की हो गई है जैसे बिजली आसमानी बिजली हो गई है । यह बिजली कहां है, कहां खो गई है, कोई पता लगाये ? काम करने वाली यह सरकार काम करते-करते कहां सो गई है ।

बिजली का जो इतना कम उत्पादन हो रहा है, इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें लापरवाही बरती जा रही है और उसे ठीक करना चाहिए । यह जो विधेयक लाया गया है, अगर आप वित्तीय लेखे को ठीक करना

चाहते हैं, तो इस बात में कोई दो मत नहीं हैं और इसमें कोइं रोक नहीं है लेकिन यह जो 1948 का एक्ट है, यह बहुत पुराना हो गया है और इसको ठीक बनाने की दृष्टि से आपको एक काम्प्रीहैंसिव बिल लाना चाहिए । बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है वह आटोनोमस है । उसको राज्य सरकार निर्धारित करती है । उसके गठन के बारे में कि उसमें किस प्रकार के लोग होने चाहिएं, बोर्ड के अन्दर पदाधिकारी रहें या बाहर से कोई अधिकारी रहें, इस प्रकार के विवाद प्रदेशों में चल रहे हैं । इसलिए बोर्ड के ठीक प्रकार से संचालन और कार्यकरण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है । सारी व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है । इसको देखा जाना चाहिए ।

1400 hrs.

जहां तक मध्यप्रदेश का प्रश्न है, मध्यप्रदेश देश में काफी पिछड़ा हुआ प्रदेश है । बिजली के मामले में तो उसका स्थान देश में 14वां है । दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, पाण्डिचेरी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, गोवा दमन दियू, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्रप्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का नम्बर आता है । मध्य प्रदेश में कोयला काफी मात्रा में है जिस पर कि हमारे थरमल प्रोजेक्ट चलते हैं । इसलिए मध्य प्रदेश में अधिक-से-अधिक थरमल पावर प्रोजेक्ट्स स्थापित किये जाने चाहिएं । एन.टी. पी.सी. का जो थरमल प्रोजेक्ट वहां बन रहा है जिसको कि अब तक चालू हो जाना चाहिए था, वह भी चालू नहीं हो पा रहा है । उसे भी जल्दी-से-जल्दी चालू किया जाना चाहिए ।

एक प्रश्न यह किया जाता है कि इन थरमल पावर प्रोजेक्ट्स को हम ठीक से कोयला नहीं दे पा रहे हैं । मैं कहता हूं कि जब थरमल पावर प्रोजेक्ट डिजाइन किया जाए तो वह इस प्रकार से डिजाइन किया जाए जिस प्रकार के कोयले के रिसोर्सिज हमारे यहां हैं । एक्चुअल्ली यह सारा काम हमने ठीक से नहीं किया है । प्रोजेक्ट वाले सारा दोष मेल पर डाल देते हैं और मेल वाले सारा दोष कोयले पर डाल देते हैं । इस तरह से एक दूसरे पर दोष डालने से काम नहीं चलेगा । बिजली का उत्पादन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । सारे देश के उद्योग धंधे, कृषि और दूसरी चीजें बिजली पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं । इसलिए बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए ।

मैं चाहूंगा कि आपके प्रोजेक्ट्स समय पर चालू होने चाहिए । मैं देखता हूं कि किसी भी प्रोजेक्ट को चालू करने का जो आपने टारगेट फिक्स किया है कि इतने समय तक वह चालू हो जाएगा, उस समय पर आपका कोई भी प्रोजेक्ट चालू नहीं हो पाया है । आप ऐसी योजना बनाइये कि आपके सारे प्रोजेक्ट समय के अन्दर तैयार होकर चालू हो जाएं । (**व्यवधान**) कलप्पकम एटोमिक पावर प्रोजेक्ट जिसका कि अभी उदघाटन हुआ है, उसने भी काम करना बन्द कर दिया है । अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स को अपने लक्ष्य के अनुसार चालू नहीं करते हैं और उनसे पावर का उत्पादन नहीं करते है तो मैं सोचता हूं कि यह ठीक नहीं होगा ।

हाइडल इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति भी बहुत खराब है । पानी से जो बिजली तैयार होती है उसमें प्रति यूनिट बहुत कम खर्चा पड़ता है । हाइडल पावर की तरफ भी हमें काफी ध्यान देना चाहिए । मध्यप्रदेश में एक नर्मदा प्रोजेक्ट है । उस पर काम करने की रफ्तार बहुत धीमी है अगर वह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो मध्य प्रदेश बिजली के उत्पादन की दृष्टि से आत्म

निर्भरता प्राप्त कर सकेगा और वह अन्य प्रदेशों को भी बिजली सप्लाई कर सकेगा। नर्मदा प्रोजेक्ट पर जो काम होना चाहिए वह काम आप जल्दी-से-जल्दी पूरा करें जिससे कि मध्य-प्रदेश बिजली के मामले में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

हमारे देश में 1977-78 में बिजली का उत्पादन 9 हजार 135 मेगावाट होता था वहां 1981-82 में जाकर यह 12 हजार के करीब हो पाया है। इतना उत्पादन हमें यह बताता है कि हमने बिजली के उत्पादन पर पूरा ध्यान नहीं दिया है।

परमाणु बिजली का तो इस बिल से सम्बन्ध नहीं है। इसके उत्पादन की स्थिति भी अच्छी नहीं है। थरमल पावर का उत्पादन भी ठीक नहीं हो रहा है।

इस बारे में भी बहुत किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि थरमल पावर प्लांटस भी आप अधिक-से-अधिक लगा कर बिजली की कमी को दूर कर पायेंगे और बिजली के मामले में देश को सक्षम बना पायेंगे।

मध्य प्रदेश में बिजली की स्थिति जो है उससे लोगों को काफी कठिनाई होती है। अभी बम्बई में बिजली व्यवस्था फेल हो जाने के कारण मध्यप्रदेश में रेलों का आना बंद हो गया था और सारा काम ठप्प पड़ गया था। उसके फेल हो जाने से अंधेरा छा गया था। इसलिए इस अधकार को दूर करने के लिए आप अपने लक्ष्य तय कर काम करें। नहीं तो आपकी दूर दृष्टि और पक्का इरादा का नारा काम नहीं कर पायेगा। बिजली उत्पादन को आप अधिक-से-अधिक बढ़ायें यही मेरा कहना है।

श्री मुलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, अभी तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं किसी का लक्ष्य भी आपने पूरा नहीं किया है।

आपने जो फिगर्स दिए हैं उन्हीं के अनुसार मैं बता रहा हूं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में टारगेट था 69 हजार किलोवाट का और प्राप्त किया आपने 57 हजार किलोवाट। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपका लक्ष्य 1 लाख 27 हजार किलोवाट का था और आपने प्राप्त किया 1 लाख 20 हजार किलोवाट। चौथी पचवर्षीय योजना में भी आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। प्रत्येक योजना के टारगेट में लगभग 4000 किलोवाट की कमी आई है। किसी भी योजना में आपने टारगेट एचीव नहीं किया है। छठी पंचवर्षीय योजना में भी आप अपने टारगेट को एचीव नहीं कर सकेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कोई काम नहीं कर रहे हैं और घाटे में जा रहे हैं। राज्याध्यक्ष कमेटी और अन्य कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बोर्ड ठीक फंगशन नहीं करते हैं। इनके लासेस 22 से 27 परसेंट हैं। कोटा थर्मल पावर स्टेशन पर 61 करोड़ रुपया लगना था। उस पर 141 करोड़ रुपया लगा दिया गया है। अटामिक पावर स्टेशन ने भी कभी अपना टारगेट पूरा नहीं किया है। हर क्षेत्र में यही हालत रही है। ऐसी हालत में जब टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि विरोधी दल वाले इसका विरोध कर रहे हैं। आपका एक होटल पर 10 लाख रुपए का बिल बकाया है। इस बारे में एक क्वश्चन था।

The Question was on 10-5-1983. It is stated :

> "During the year 1980-81, 40,560 cases of theft of energy were detected."

और इसके बाद अगले साल—

"31,189 cases of thefts were detected."

स्टेट्स को आप जब भी डायरेक्शंस देते हैं तो उनको नहीं माना जाता। यह आप ही का उत्तर है—

"Himachal Pradesh : Information regarding the steps being taken by the SEB to prevent theft, pilferage and misuse of energy not made available."

आपकी दी हुई डायरेक्शन कोई मानता नहीं है। हिमाचल ने मानने से मना कर दिया। जम्मू काश्मीर के बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने इनफार्मेशन फर्निश नहीं की। चोरियां अलग होती हैं, बिजली की चोरी अलग होती है। बिल्स के पेमेंट्स नहीं होते हैं। तमाम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में जा रहे हैं। देसू को ही आप ले लें। कमेटियां जो बनती हैं उनकी सिफारिशों को आप अमल में नहीं लाते हैं। आप कहते हैं कि पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में ग्यारह परसेंट रिटर्न होनी चाहिये। यह नार्म आपने फिक्स किया है। कुछ गांवों में बिजली हो और कुछ में न हो, इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। आप आउटस्टेंडिंग ड्यूज को ही लें। नार्दन रिजन को ही आप लें। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग के 57 लाख के ड्यूज हैं। उत्तर प्रदेश से 17.73 करोड़। राजस्थान 4.33 करोड़। हर एक में बकाया है। करोड़ों रुपये की रिकवरी बकाया पड़ी हुई है। चोरियां अलग होती हैं।

बिल आपके पहले भी थे। सैक्शन 59 था। इस बिल को लाने के बाद आप यह न समझ लें कि आपके बिजली बोर्ड अब ठीक तरह से काम करने लग जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि काम ठीक हो तो कुर्सी पर बैठने वाला जो आदमी हो वह डैडीकेटिड होना चाहिये और सेवा करने वाला होना चाहिये। अगर आपने किसी राजनीतिज्ञ को जो पीछे रह गया है उसे लाकर बिजली बोर्ड पर बिठा दिया तो जो आपका उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जितनी भी योजनायें आपने बनाइ किसी में भी निर्धारित लक्ष्यों की आपने पूर्ति नहीं की। जो योजना चल रही है उसके टारगेट भी एचीव नहीं हो सकेंगे। बिजली की कमी के कारण जो उद्योगों को नुकसान होता है वह अलग होता है काश्तकारों को होता है वह अलग होता है। आप पीसमील लेजिसलेशन लाते हैं। उससे लाभ नहीं हो सकता है। आपके कदम मजबूती के साथ उठने चाहिये। आपने वेंकटरमन कमेटी राज्याध्यक्ष कमेटी आदि कमेटियां मुकर्रर कीं, लेकिन उनकी सिफारिशों की आपने अनुपालना नहीं की। करोड़ों रुपया उन कमेटीज पर खर्च कर दिया गया लेकिन फल कुछ नहीं निकला। इस प्रकार से पीसमील लेजिस्लेशन लाकर कोई लाभ नहीं होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : बिहार के पिछड़ेपन की यहां चर्चा करने की जरूरत नहीं। मंत्री जी स्वयं बिहार के हैं मैं उत्तर बिहार के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस सदन में करता हूं। बिजली के मामले में बिहार जितना पिछड़ा है इतने पिछड़े बहुत ही कम राज्य हैं। उसमें उत्तर बिहार का पिछड़ापन तो और भी मशहूर है वहां बिजली उद्योगों के लिए, खेती के लिए और लोगों को घरों में इस्तेमाल के लिए नहीं के बराबर दी जाती है। भारत सरकार ने कुछ साल पहले बिहार सरकार के साथ मिलकर उत्तर बिहार में नए बिजलीघर का निर्माण करने के बारे में योजना बनाई थी। योजना के अमल में कुछ देरी होने

लगी । 1977 में सरकार का यहां पर बदल हो गया । तब कांठी की उस योजना को जनता सरकार ने उठाने का काम किया । बिहार की सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों ने मिलकर बी. एच. ई. एल. को कांठी में थरमल पावर स्टेशन बनाने की जिम्मेदारी टर्नकी बेसिस पर दी और 1978 में जब वहां के काम की शुरूआत होने लगी तब यह तय था कि कांटी में थरमल पावर स्टेशन 220 मेगावाट क्षमता का है जिसमें 110-110 मेगावाट शक्ति के दो जैनरेटर्स लगने थे और 1982 के अप्रैल महीने में 110 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी और 1982 का साल पूरा होने तक 110 मेगवाट बिजली और देना शुरू कर देगा । लेकिन 1980 से कांठी थर्मल पावर स्टेशन की हालत यह हो गई जिससे ऐसा लगता था कि चूंकि इस योजना को हमारी सरकार ने हाथ में लेने का काम किया था इसलिये इसमें जितनी ढिलाई हो सकती है वह हो और जितने विलम्ब से थरमल पावर स्टेशन बने वह बने । इस प्रकार जैसे कोई एक साजिस बनी हो ।

मैं एक दस्तावेज पढ़ना चाहता हू जो बिहार के मुख्य मंत्री डा० जगन्नाथ मिश्र ने अभी-अभी निकाला है "वर्तमान सरकार के तीन वर्ष" । इसकी प्रस्तावना "दो शब्द" करके मुख्य मंत्री डा० जगन्नाथ मिश्र ने लिखी है । 3 महीने हो गये इस दस्तावेज को निकले, लेकिन हमारे हाथ में यह अभी दो ही रोज पहले आया । इसके पेज 143 पर मुजफ्फरपुर के विद्युत घर के बारे में लिखा है:"मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र की दो इकाइयों को स्थापित करने का भार 'मेल' को टर्न की के आधार पर सौंपा गया है । इन दो इकाइयों की क्षमता भी 110-110 मेगावाट की होगी । इन इकाइयों को फरवरी, 1983 तथा अगस्त, 1984 तक चालू कर देने का लक्ष्य है ।" फरवरी 1983 को समाप्त हुए कई महीने हो गये हैं लेकिन जमीन पर इसका कोई पता हमें दिखाई नहीं दे रहा है ।

यह है आपकी बिहार सरकार का 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रगति प्रतिवेदन जुलाई-सितम्बर 1982, इसके पेज 26 पर लिखा है :

"मुजफ्फरपुर की प्रथम इकाई भी अगस्त, 1983 में तथा दूसरी इकाई फरवरी, 1984 में कार्यरत हो जायेगी ।" अब यहां प्रगति तो कुछ बदल रही है इस दस्तावेज में मगर इसमें भी यह कहा गया है कि अगस्त, 1983 में पहली इकाई को कार्यरत करेंगे । अब अगस्त को खत्म होने में कुछ ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और हम इस बात को जानते है कि वहां जमीन पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे कांठी का थर्मल पावर स्टेशन अगले दो सालों तक खड़े होने की कोई उम्मीद की जा सकती है ।

हमने तो एक नहीं दो बार बिहार के मुख्य मत्री श्री जगन्नाथ मिश्र को चिट्ठी लिखी और वह चिट्ठी उन्हीं की चिठ्ठी के सदर्भ में लिखी क्योंकि उन्होंने बीच में एक आदत डाली थी कि संसद के तमाम सदस्यों को वह एक लम्बी चिट्ठी भेजा करते थे। तो उनकी पहली चिट्ठी के जवाब में मैंने अगस्त 14 को लिखा :

"I have your D.O. letter No. 1819/CMS (C) dated July 25, 1982. You have dealt with the problems on the power front in Bihar at great length in your letter. I however note that there is not a line about the Muzaffarpur Thermal Power Station.

As you are aware this power station should have been commissioned in early 1982, and by the end of this year or early during next year it should have been providing 220 MW of electricity to the energy-starved Noth Bihar.

अत: इसमें एक साल से ज्यादा समय हुआ ।

"I have been writing to you and have been agitating on this matter for a long time. Yet, I notice that the Government for some reasons is deliberately delaying construction of this Power Station."

"You are now speaking about installing gas turbines and importing oil to feed these turbines. Instead, could you take personal interest and see that the work on the Muzaffarpur Thermal Power Station is completed, posthaste ?"

"The fact that I was instrumental in getting the power station sanctioned and persuaded the Karpoori Thakur Ministry to expedite the ground work, need not be held as an excuse to starve the people of North Bihar of Power."

यह अगस्त 14, 1982 की चिट्ठी है। उसके बाद उनका एक और पत्र आ गया और उस पत्र के जवाब में हमने उनको 14 सितम्बर को लिखा :

"You are so keen to go ahead with installing gas turbines which I presume have to be imported and for which fuel oil has necessarily to be imported. But you are doing next to nothing to see that the work on the Kanthi Thermal Power Station is speeded up. I have already written to you that you may erase my name and the name of Mr. Karpoori Thakur as the persons who took the initiative to start work on the Kanthi Thermal Project, but why punish the people of north Bihar for your and your leader's nostility towards us."

यह सितम्बर, 1982 की चिट्ठी है । इसलिये दोनों चिट्ठियों को मैं सदन के सामने रख रहा हूं और मंत्री जी से यह निवेदन कर रहा हूं कि बिजली के बगैर उत्तर बिहार की समस्याओं का कोई निदान नहीं है । यह निदान कांठी के थर्मल पावर स्टेशन के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि बी.एच.ई.एल. केन्द्र सरकार का है, इसलिये केन्द्र सरकार इस पर तत्काल कदम उठाने की कोशिश करे ।

बिहार में काम चले या न चले, वहां के मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, यह हमें बताया गया है कि शायद हमारे ऊर्जा मंत्री वहां जाने वाले हैं । मैं कांग्रेस पार्टी के अन्दरूनी झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता हूं, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है । मंत्री जी इतना प्रयास जरूर करें कि बिहार के मुख्य मंत्री और केन्द्रीय सरकार इस कांठी के थर्मल पावर स्टेशन को जल्दी लगाने की ओर कदम बढ़ाये । कांठी का थर्मल पावर स्टेशन बनेगा, लेकिन अगर उसका ट्रांस्मिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पहले से नहीं होता तो मुझे यह डर है कि जो कांठी थर्मल पावर स्टेशन उत्तर बिहार की जरूरतों को पूरा करने के लिये बन रहा है, वह फिर दक्षिण बिहार के लोगों, टाटा के जमशेदपुर के कारखाने के लिये बिजली की सप्लाई करेगा, बड़े उद्योगों को बिजली दक्षिण बिहार में जायेगी । इसलिये जरूरी है कि ट्रांस्मिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम भी आप पहले से ही करें ।

जब यह थर्मल पावर स्टेशन पूरा हो जायेगा तो लगभग 2 हजार लोगों को उसमें काम मिलेगा । उत्तर बिहार में बहुत बेरोजगारी है यहां के लोग उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी हिन्दुस्तान के दूसरे इलाकों पंजाब और हरियाणा में हर फसल के समय और हर काम के लिये अपने प्रदेश या जिले से बाहर जाते हैं इसलिये चाहे दो हजार नौकरियां ही क्यों न हों, जब यह थर्मल पावर स्टेशन खड़ा हो जायेगा, तो वहां के आसपास के लोगों

को ही नौकरी मिलनी चाहिये। अगर वह नौकरियां वहां के लोगों को देनी हों तो वह सफाई करने वाली और बगीचे को देखने वाली नौकरियां नहीं बल्कि पावर स्टेशन को देखने वाला जिम्मेदारी का काम उन लोगों को सौंपा जाना चाहिये। इसलिये अभी से यह अनिवार्य हो जाता है कि वहां के लोगों की भर्ती का काम अभी से शुरू किया जाये और उन लोगों को जो आवश्यक ट्रेनिंग की जरूरत है वह बिहार के दूसरे बिजली घरों या देश के दूसरे बिजली घरों में उन लोगों को भेजकर ट्रेनिंग दी जाये ताकि जब यह बिजलीघर बनेगा तो इन्हीं लोगों को वहां काम दिया जा सके, जिससे कम-से-कम वहां के 2000 लोगों को वहीं पर काम मिल सकेगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, यह जो साउन्ड कमर्शियल प्रिंसिपल पर बिजली का हिसाब किताब रखने की बात कही गई है, यह काफी ठीक है। इससे ऐसे बिजली बोर्डों में जिनमें गड़बड़ियां होती है, नार्म्स से ज्यादा आदमी रखे जाते हैं, गलत तरीके से सामान खरीद लिया जाता है कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये, जिनकी वजह से करोड़ों रुपये का नुकसान होता है, इस प्रकार की व्यवस्था से यह रुकेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इसके सम्बन्ध में और भी व्यवस्थाएं ज्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि चोरी कितनी होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में कम-से-कम 40 परसेंट बिजली चोरी में जाती है और चोरी करने वाले भी छोटे-छोटे नहीं, बड़े-बड़े लोग हैं। बड़े-बड़े अधिकारी पैसा लेकर बड़े-बड़े पूंजीपतियों को बिजली बेचते हैं। जब तक यह व्यवस्था ठाक नहीं होगी, तब तक गरीब लोगों, काश्तकारों और छोटे कारखानों को बिजली उपलब्ध नहीं हो पाएगी।

आज ऐसी फ्राडुलेंट फर्म्ज स्थापित हो गई हैं, जिनके पास कोई सामान नहीं है, लेकिन उन्हें करोड़ों रुपये के आर्डर्ज दिए जाते हैं और उनके जरिये से नाजायज़ तरीके से हिसाब-किताब रखा जाता है। जयपुर में एक के.डी. इलेक्ट्रिकल्ज़ कंपनी है, जिसके पास सामान तो एक पैसे का भी नहीं है, लेकिन उसको इरिगेशन डिपार्टमेंट, बिजली विभाग और पी.डब्ल्यु.डी. आदि सब सरकारी विभागों के करोड़ों रुपयों के आर्डर्ज मिलते हैं, क्योंकि चीफ इंजीनियर का लड़का और बड़े-बड़े अधिकारियों के लड़के उसमें पार्टनर हैं। भारत सरकार को ऐसी फर्मों पर निगाह रखनी चाहिए। ऐसी फ्राडुलेंट फर्मों को नाजायज़ फायदा पहुंचाने के लिए बिजली बोर्डों का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार केवल राजस्थान में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। सेठ लोग बिजली के कारखाने लगाकर करोड़ों रुपए कमाते हैं, मगर मोनोपली होने पर भी सरकारी कारखानों को करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है, क्योंकि फ्राडुलेंट खरीदारियां होती हैं, बिजली की चोरी होती है, इसको रोकने के लिए मंत्री महोदय को कदम उठाना चाहिए।

ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों को अपने हाथ में ले ले और एक नेशनल ग्रिड बनाकर सारे देश को बिजली सप्लाई करे, जिससे रिजनल इमबैलैंस समाप्त हो और सब लोगों को बिजली उपलब्ध हो।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मुझसे पहले माननीय सदस्य बीस मिनट बोले हैं और मुझे आप पांच मिनट में ही रोक रहे हैं। उनके साथ और हमारे साथ अलग-अलग व्यवहार किया जा रहा है। हमें अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए।

हमारे यहां बहुत बड़े पैमाने पर लिग्नाइट के भडार हैं। उसके आधार पर बिजली के कारखाने लगाने चाहिए, ताकि राजस्थान में बिजली का अभाव दूर किया जा सके। वहां पर लिग्नाइट-बेस्ड पावर प्राजेक्ट स्थापित करना आवश्यक है, क्योंकि मध्य प्रदेश, पंजाब, यू.पी. और दिल्ली में जो हाइडल पावर स्टेशन है, वहां से हमें बिजली नहीं उपलब्ध होती है। इसके कारण हमारे यहां सौ परसेंट कट होता हैं और पिछले साल इंडस्ट्री में करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। अगर किसी राज्य को इतना नुकसान हो, तो उसकी आर्थिक स्थिति का बर्बाद होना स्वाभाविक है।

कोटा में दो इकाईयों की व्यवस्था की गई है। एक इकाई का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन दूसरी इकाई का कुछ पता नहीं है, हालांकि उसका टाईम निकल चुका है और उस पर दुगने से ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है। इस प्रकार की कार्यवाहियों से ऐसा लगता है कि अधिकारियों द्वारा जान-बूझकर प्राजेक्ट्स को पूरा करने में देर की जाती है, ताकि पैसे का ज्यादा-से-ज्यादा दुरुपयोग किया जाए। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की गलत कार्यवाहियों से देश का धन बर्बाद हो रहा है, इसलिए वह इनको रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था करें, जिससे आम लोगों को बिजली मिल सके।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि मिनिमम चार्ज को खत्म करना चाहिए और लोगों को ठीक प्रकार से बिजली उपलब्ध करानी चाहिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं बिल्कुल नयी बात कहूंगा जोकि आपके लिए भी फायदेमन्द होगी। सर्व-प्रथम तो जार्ज साहब ने यहां पर जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं और मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि वे अपने जवाब में उसकी चर्चा भी करेंगे। आप बिहार जा रहे हैं इसलिए आपके ऊपर इसका दायित्व है।

2-8-83 को अतारांकित प्रश्न सं० 1464 के जवाब में स्वयं श्री चन्द्र शेखर सिंह जी ने जवाब दिया है कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं उसमें सरप्लस 622 मिलियन रुपीज का है और घाटा 1542 मिलियन रुपीज़ का है। अब बिल में आपने रखा है कि 3 प्रतिशत का फायदा उनको करवाना है। पता नहीं आप यह कैसे करेंगे ? अभी सदन में यह बात चल रही है कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं उनको सरकार अपने कब्जे में कर ले लेकिन जो बोर्ड आलरेडी सरकार के कब्जे में हैं उनकी ओर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं डेसू के सम्बन्ध में मैंने पिछले सत्र में भी यहां पर चर्चा की थी। उस सम्बन्ध में मेरा जो प्रश्न था उसका जो जवाब मेरे पास भेजा गया था उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि डेसू में कितना करप्शन है। प्रोडक्शन की साइड में जो करप्शन है वह तो अलग है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की साइड है वहां पर मीटर लगाने का पैसा लिया जाता है और वहां पर बिजली की चोरी जबर्दस्त ढंग से हो रही है। 30 प्रतिशत बिजली की चोरी हो जाती है। जो बिजली का लास है वह तो केवल 8 प्रतिशत है मैक्सिमम लेकिन 30 प्रतिशत बिजली की चोरी हो जाती है। यह बिजली बड़े-बड़े इंडस्ट्रिय-

लिस्ट्स के यहां चली जाती है। इंडस्ट्रियलिस्ट्स को इससे दो फायदे हैं -- एक तो बिजली का मीटर कम उठता है और जब मीटर कम उठता है तो उनके माल पर एक्साइज ड्यूटी भी कम लगती है। इसके अलावा जो मीटर-रीडिंग डिपार्टमेन्ट है वह जब चाहे तब मीटर को जीरो पर रख दे और जब चाहे मीटर-रीडिंग 100 के बदले 1000 यूनिट कर दे। मीटर-रीडिंग का यह हाल चल रहा है। मन्त्री जी ने खुद जवाब में कहा है। 2900 रुपया प्रति माह देते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप स्टोर की चैकिंग करवा दीजिए तो आपको करोड़ों रुपए के घपले का पता चल जायेगा। मुख्य रूप से मैं सदन के सामने यह बात लाना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न का जो जवाब दिया गया है उसको आप देखेंगे तो मालूम होगा कि यहां पर जो चीफ इंजीनियर हैं मि० पी. एस. साहनी है उनका प्रति माह का एवरेज बिल 33.80 रुपए का है। एडीशनल चीफ इंजीनियर श्री आर.के. मित्तल का प्रति माह का बिल 21.60 रुपए है। इसी तरह से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर श्री वाई.बी. चड्डा का बिल 19.62 रुपए का है। दूसरे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर श्री सच्चिदानंद का एवरेज मंथली बिल 12.70 रुपए का है। एग्जिक्यूटिव इंजीनियर, श्री डी.पी. सिंह का मंथली एवरेज बिल 12.57 रुपए का है। इसी तरह से श्री एच.पी. गुप्ता का 7.80 रुपए का है··· (**व्यवधान**) कार्यपालक अभियन्ता, श्री एस.सी लूथरा का सबसे ज्यादा 266 रुपए प्रति माह का बिल है और बाकी किसी का भी बिल 21, 22 या 23 रुपए से ज्यादा का नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि श्री डी.डी. वशिष्ट एसिटेंट इंजीनियर उनका दो-तीन का एवरेज बिल 1.70 रुपए है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे देश की इलेक्ट्रिसिटी और देश के बिजली बोर्डों में जो करप्शन व्याप्त है, उसको देखते हुए, भारत सरकार को सारे बोर्डों को अपने हाथ में लेना चाहिए। जहां प्रधान मंत्री जी बैठी हुई हैं, जहां होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं··· (व्यवधान) मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपने इन्क्वायरी बैठाई है, तो क्या आपने डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी बैठाई है? मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि जिन-जिन लोगों की चार रुपये या पांच रुपये एवरेज है, जैसा कि मैंने नाम बताए हैं, उन लोगों को सस्पैंड कीजिए और विजीलेंस कमेटी बनाइए। चाहे आप अपोजीशन को छोड़ दीजिए, अपनी ही पार्टी के लोगों की कमेटी बनाइए ताकि जो दिल्ली के लोगों की तबाही हो रही है और उन लोगों को जो अनाशनाप बिल, कभी एक हजार रुपए का और कभी दो हजार रुपए का आ रहे हैं, इस संबध में कार्यवाही करने के लिए कोई कदम उठाया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान मध्य प्रदेश की हालत की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी जो ग्रामीण विद्युतीकरण हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश 27 प्रतिशत, पंजाब 100 प्रतिशत और केरल 99 प्रतिशत, इसी प्रकार कई और राज्यों के भी आंकड़े हैं, जो समय की कमी की वजह से नहीं कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में इतनी बिजली पैदा होती है, लेकिन वहां के लिए कोई सुविधा नहीं है। कई कारखाने पावर की कमी की वजह से संकट में हैं। वहां इतनी सुविधा मौजूद होने के बावजूद भी पता नहीं मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर क्यों नहीं जाता है। वहां लोगों में बिजली न मिलने की वजह से आक्रोश व्याप्त है। वहां से कोयला बाहर जा रहा है। वहां की सड़कों की हालत

अच्छी नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्यों इसका हैड क्वार्टर जो मध्य प्रदेश में बनना चाहिए था, उसको नागपुर में बना दिया गया ? मैं चाहता हूं कि कम-से-कम मंत्री महोदय मध्य प्रदेश के लोगों के साथ न्याय करें।

15 अप्रैल को बौद्ध परियोजना मध्य प्रदेश शासन द्वारा केन्द्रीय शासन को दी गई है, मैं चाहता हूं कि जल्दी-से-जल्दी उस पर विचार किया जाए। इसी प्रकार संजय तापघर और बारगी जैसी परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को धन उपलब्ध कराया जाए ताकि जो बिजली वहां पैदा हो उसको सारे हिन्दुस्तान को दी जा सके। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग बिजली का उपयोग छः छः महीने नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको बिजली का बिल फिर भी भेज दिया जाता है। इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए (इति)

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि बिहार को पिछड़ा रखने के लिए एक सुनियोजित षडयंत्र चल रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अंग्रेजों ने शुरू किया। अभी तक चल रहा है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अंग्रेजों की बात छोड़ दीजिए।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : आपका कुछ जानकारी है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : उस समय उस बोर्ड के अध्यक्ष श्री कंवरसैन थे जबकि कोसी प्रोजेक्ट बन रहा था। उन्होंने कहा था कि बिहार में इस डेम के बनने से इतनी बिजली पैदा हो जाएगी कि उसकी खपत नहीं हो सकेगी। वह हमारे लिए समस्या बन जाएगी। शायद यह सोचने के कारण ही आज बिहार की यह हालत हो रही है।

अब तक होता यह रहा है कि देश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर योजनाएं नहीं बनी बल्कि क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए योजनाएं बनाई गई। बहुत-सी परियोजनाएं इस कारण से बनाये जाने का असर यह हुआ है कि उत्तर बिहार में प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजली की खपत 14.82 किलोवाट है और इसमें बरौनी की खपत 6 किलोवाट है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो उत्तर बिहार की प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजली की खपत 9 किलोवाट रह जाती है जबकि बिहार की बिजली की खपत प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 82.48 किलोवाट है। हमारी इतनी दयनीय हालत है। इसलिए मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस की आवाज में आवाज मिलाता हुआ कहूंगा कि करणपुर थरमल पावर प्रोजेक्ट पर ध्यान दें।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने देश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर काम किया होता तो आपने फरक्का के ऊपर कहलगांव को प्राथमिकता दी होती। कहलगांव को एकदम नहीं छोड़ दिया होता। इसी प्रकार सिंगरौली थरमल पावर स्टेशन के कारण बिहार में सिंचाई के पानी की कमी होने की आशंका है। अगर आपने यह पावर स्टेशन सिंगरौली में न बना करके कहलगांव में बनाया होता जहां पर कि कोयले का भंडार है तो यह समस्या उत्पन्न न हुई होती। आपने कहलगांव में सुपर थरमल पावर बनाने की बात नहीं सोची। अभी भी सही रास्ता पकड़ने का समय है।

एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि आपने अकाऊंटिंग में एक रूपता लाने के लिए जो प्रयास शुरू किया है और उसके लिए आपने अपनी मंशा जाहिर की है। आप बिजली बोर्डो के संचालन की तुलना करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब तापीय बिजली और जलीय बिजली के उत्पादन व्यय अलग-अलग है तो आप यह किस प्रकार कर सकेंगे? इस पर कृपया आप प्रकाश डालें।

मिनिमम गारन्टी के ऊपर जो मैंने संशोधन दिया था वह तो सदन द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है। आप मिनिमम बिजली को देने की गारन्टी नहीं करने जा रहे है तो बिल में यह व्यवस्था कैसे ला रहे है? आपको मिनिमम गारन्टी की भी व्यवस्था करनी चाहिए।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH): I am Grateful to the Members for having raised certain specific points. I would like to reply them specifically.....

Mr. Halder raised the point of commercial accounting, putting the SEBs on commercial footing. We are not putting the SEBs on commercial line. Our effort is to adopt commercial accounting system and not the entire commercial operation of the SEBs. In fact, we fully realise that the SEBs commercial-cum-service organisations with certain social objectives. It is because of this factor that the tariff rates do not correspond with the actual cost borne by the SEBs in many fields. The tariff is what the traffic can bear.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: I said that electricity should be assured to all sectors of people.

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: That depends on so many factors.

So for as the Mejia Project is concerned, I had two rounds of discussion with the West Bengal Government and we are fully aware that the needs of West Bengal in the years to come should be met as far as possible. Regarding this project, the present situation is that coal linkages have not yet been firmly established and I would like to assure the Hon. Member that I have taken porsonal initiative regarding Mejia project. I have taken a meeting with the Department of Coal, I had a discussion with the Minister of Railways in his chamber and we are trying our best to see that coal-linkags are firmly established. The present position is that the Department of Coal has assured us that within the next three months, they would be able to give us their assessment of the availability of coal for Mejia project, which is net yet firmed up and we hope that within the next few months, we shall be able to push through this project. Our sincerest efforest are being made in this direction.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: About the linkages I gave a suggestion.

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: I am aware of all those sugestions and the entire situation. About Farakka Stage I, I would like to tell him that the entire thing is going on as scheduled. There are no slippages as yet and power should come according to the given time. Our fullest cooperation is available to the SEB and the West Bengal Government for Kalaghat and all other projects. We have assured them that whatever we could do for West Bengal, we shall never be lacking in our efforts. About the problems of DVC also, I had a discussion with the West Bengal Chief Minister where the Chairman, DVC was also present and it has been decided that whatever problems are there, they will be sorted out across the table and there would not be any difficulty in respect of DVC so far as West Bengal is concerned.

Two Hon. Members from Madhya Pradesh have participated in the discussion at this stage. So far as the requirement of a Comprehensive Bill on the subject is concerned, I have made it clear that it depends basically on the cooperation of the State. on

the concurrence of the State Government to any significant departure in this sphere. We are continuing the dialogue with the State Government, we do not know how far we shall be able to move forward but certainly so far we have received all cooperation and help from the State Government. We hope we will be able to sort out this problem with them.

About Korba, perhaps the Members must be aware that the first unit of Korba project has been commissioned and the second unit will be commissioned in September this year as originally scheduled. I am happy to inform this House that as yet there has been no slippage in respect of all the projects of the NTPC. Everything is proceeding as per schedule. In fact, the Ramagundam unit has been commissioned ahead of schedule. It has been commissioned in 44 months which is a very good achievement for the NTPC and we have congratulated the engineer, the technicians and the workers for their efforts in this direction. They have suggested some gas-based plants. Our policy is that gas should be utilised for production of fertilizers and other things and not for production of power except in isolated cases where gas is available only in limited quantities and in far-flung areas.

Some other Members, particularly Mr. Ram Vilas Paswan, have referred to DESU. DESU owes dues to the NTPC to the extent of more than Rs. 150 crores. That is a special situation in respect of DESU and as I said, perhaps yesterday, we are sending a Cabinet Note on this issue.

But DESU is not Government of India's immediate sole concern. It is not governed by us. It is the Delhi Administration which controls the DESU and we are not directly responsible for its work.

So far as the cases of corruption which Mr. Ram Vilas Paswan rightly pointed out in his question during the last Session, we have given, in course of reply, detailed nformation on these issues. We have ourselves pointed out that these are the various irregularities which are apparent in the information that we have got from DESU. I am pursuing the matter. We have asked them to let us know what action has been taken about it and I would like to assure Mr. Paswan that we will see that adequate action or punishment is given to the officer who is found guilty of such malpractices.

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : On the question of pilferage.

SHRI CHADRASEKHAR SINGH : Pilferage actually comes broadly under the head of T & D losses. We have suggested to the SEBs to reduce T & D losses and have some system of detection of theft of energy cases so that every division can be taken as a unit. It may find out how much power they have received, how much power they have sold so that a proper accounting can be maintained. We are making these efforts in this direction. I have suggested to the SEBs to take other procedures also to see that the theft of energy is reduced to the minimum.

Shri George Fernandes has referred to the Kanthi power project. I fully appreciate and share his concern for the early implementation of the project. I would not like to go into the past history. He should be sure that raising certain names is not going to help nor is there any such intention on our part. What is part of history is history. We do not intend to go into that. But I would like to assure him that after I have taken over, I have gone into the detailed working for the implementation of the project. The present position is that we hope that by the end of March, 1984 the first unit of Kanthi thermal power project would be commissioned. I would expect that Members of Parliament from that area would extend all the cooperation in that respect.

I am also aware that the transmission lines should also be adequately laid down because North Bihar is likely to get in the year 1984-85, adequate amount of power from Chukha hydel power project. We have stressed this point on the Bihar S.E.B. that transmission should be strengthened and they are taking initiative in this regard.

I do not think any specific point raised by the Members has been left out except perhaps Professor Mehta has raised the question of Kahalgaon project. I hope, I have already said about it. About 3 days back in reply to the calling attention motion, I have stated that Kahalgaon is a priority project for us in the year 1983-84. But with the developments during the last 4 or 5 days, I am in a position to say today that Kahalgaon super thermal power project would be started in the year 1983-84 and it will be perhaps possible for us to do so.

PROF. N.G. RANGA : What about the Narmada project?

SHRI CHANDRASEKHAR SINGH : The Narmada project is under appraisal and discussion with the World Bank. We are moving about it. So also about the Bodhghat project which he has mentioned.

SHRI RAM PYARE PANIKA : What about the Anpara B Thermal Project?

SHRI CHANDRASEKHAR SINGH : Apart from whatever the Members have raised just now, I will also add that it may be possible to take up not only Kahalgaon but also Chamera and Tanakpur projects. We are also having discussion on the Anpara B Thermal project. Some Japanese collaboration has been suggested and the discussion is going on. We hope that a firm decision will also be taken on this.

प्रो० अजित कुमार मेहता : करमपुरा का सर्वे हो चुका है। उसके बारे में भी कुछ कहिये ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : अभी हम लोगों के सामने करनपुरा का कोई प्रोजेक्ट नहीं है । यह हमें मालूम है कि वहां कोल डिपाजिट्स हैं और उसका आज नहीं तो कल, कभी न कभी पावर के लिये ऐक्सप्लायटेशन होगा । और जब हमारे सामने योजना आयेगी तो हम विचार करेंगे ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : आप तुलना कैसे करेंगे क्योंकि दोनों उत्पादन व्यय में बड़ा फर्क है ।···

MR. CHAIRMAN : We have had sufficient discussion.

श्री चन्द्र शेखर सिंह : मैंने कल इसका विवरण के साथ आपके प्रश्न का उत्तर दिया था कि यूनीफार्मिटी टैरिफ रैट्स में होना सम्भव नहीं है और कुछ परिस्थितियों में उचित भी नहीं है । मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं ।

मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही रचनात्मक दृष्टिकोण से वाद विवाद को जारी रखा, उससे हमें बहुत ही सहायता मिली है और मैं आशा करता हूं कि यह बिल सदन स्वीकृत करेगा ।

MR. CHAIRMAN : The qusstion is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

1457 hrs.

MOTION RE SUSPENSION OF PROVISO TO RULE 66

MR. CHAIRMAN : Motion under rule 388. Shri Sangma to move the motion on behalf of Shrimati Ram Dulari Sinha.

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (SHRI P.A. SANGMA) :

Sir, I beg to move :

> "That this House do suspend thef proviso to rule 66 of the Rules o Procedure and Conduct of Business